प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं.

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला– जयपुर, थाना– प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष–2022 प्र0इ0रि0 सं. ....40/22........दिनांक.......... 9/2/22

2. (I) अधिनियमः– धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित)अधिनियम 2018

(II) अधिनियम .... धारायें ....

(III) अधिनियम .... धारायें ....

(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....(अ)

3. रोजनामचा आम रपट संख्या ....176.... समय ....7.45 P.M.

(ब) अपराध घटने का दिन– बुधवार, दिनांक 09.02.2022 समय 11.31 एएम

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ..... समय .... पीएम

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल :– कार्यालय उपायुक्त जोन मालवीय नगर, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के सामने मैन रोड पर।

(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:–बजानिब उत्तर दिशा करीब 4 किमी

(ब) बीट संख्या..........................जयरामदेही सं................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना ....जिला ....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-

(अ) नाम– श्री दीपक खंडेलवाल

(ब) पिता/पति का नाम– श्री कैलाश चंद गुप्ता

(स) जन्म तिथी– उम्र– 32 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि

जारी होने की जगह ....

(र) व्यवसाय – व्यापार

(ल) पता– निवासी प्लाट नं. 432, सवेरा गोविन्दम, एमडी रोड के सामने, जयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

(1) श्री पंकज चौधरी पुत्र श्री जयनारायण चौधरी उम्र 25 वर्ष जाति जाट नि. ग्राम लदाना खुर्द तहसील चाकसू जिला जयपुर हाल टैक्स कलेक्टर (टीसी) स्पैरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड। कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जोन मालवीय नगर, जयपुर। (संविदाकर्मी)

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).

....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य– 9,000 रूपये लिप्त सम्पति

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 08.02-2022 को परिवादी श्री दीपक खण्डेलवाल पुत्र श्री कैलाशचंद गुप्ता, निवासी प्लाट न0 432, स्वेना गोविन्दम अपार्टमेंट एम.डी.रोड जयपुर ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित शिकायत पेश करी कि "मेरा नाम दीपक खण्डेलवाल निवासी 432 स्वेना गोविन्दम अपार्टमेंट जयपुर मेरी एक सम्पत्ति S-22 Barkat Nagar मैन मार्केट मे देवकी सुपरमार्टस के नाम से है। मेरे पास कल पंकज चौधरी के नाम से Call आया उन्होने बोला की मै नगर निगम के रूम न0 21 मालवीय नगर ऑफिस मे बैठता हुं आपकी Building का Ud Tax बकाया है या तो आप जमा

करा दो या मुझे Manage कर लो। उसने बताया कि वैसे 4-5 Lac का Tax है अगर आप मिला लोगे तो ले दे कर रफा दफा कर दुंगा एवं रिश्वत की मांग की व मुझे मिलने बुलाया है। तो मुझसे रिश्वत की मांग करेगा जो मै नही देना चाहता हुं कृपया कार्यवाही करने का श्रम करे। यह सम्पत्ति मेरी माताजी के नाम है एवं मै ही संभालता हुं। एसडी/- दीपक खण्डेलवाल पुत्र श्री कैलाशचंद गुप्ता, निवासी प्लाट न0 432, स्वेना गोविन्दम अपार्टमेंट एम.डी.रोड जयपुर मो0न0 9887078757 Date-13/7/2021'' परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत पत्र एवं दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग एवं रिश्वत लेन देन का पाया जाने पर दिनांक 8.02.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो परिवादी श्री दीपक खंडेलवाल से आरोपी श्री पंकज चौधरी द्वारा 10,000/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए 9,000/-रू रिश्वत के रूप में लेने पर सहमत हुआ। उक्त रिकार्ड वार्ता की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन व सीडी तैयार की गई।

दिनांक 09.02.2022 को परिवादी श्री दीपक खंडेलवाल व स्वतंत्र गवाहान उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये जिससे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी अपने पास से पांच पांच सौ रूपये के 18 नोट कुल 9,000/- रूपये प्रस्तुत किए है। जिन पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष श्री सतीश कुमार कानि. नं. 275 से फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाया जाकर मांग के अनुसरण मे आरोपी को देने हेतु परिवादी श्री दीपक खंडेलवाल को सुपुर्द किए गए। जिसकी फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुदर्गी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात् दिनांक 09.02.2022 को समय 10.50 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री दीपक खंडेलवाल, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ मय ट्रेप बॉक्स मय सामान सरकारी के सरकारी वाहनों सहित ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर राजस्थान विधानसभा, जयपुर के पास पहुंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया।

समय करीब 11.31 एएम पर परिवादी श्री दीपक खंडेलवाल ने अपनी आंखो पर लगाया हुआ नजर का चश्मा उतारकर व अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर निर्धारित ईशारा किया। ईशारा पाते ही मन् पुलिस निरीक्षक ने आसपास खडे स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ को ईशारा करते हुए व अपने साथ लेते हुये परिवादी की कार के पास पहूंचा तो परिवादी से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। परिवादी की कार आरजे 14 सीएक्स 4917 के अंदर परिवादी के साथ एक अन्य व्यक्ति आगे की सीट पर बैठा हुआ है। परिवादी अपनी कार से बाहर निकलकर कार में बैठे हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह पंकज चौधरी है जिन्होंने अभी-अभी मुझसे दिनांक 08.02.2022 की मांग के अनुसार 9,000/-रू मुझसे प्राप्त कर अपने हाथ में लेकर पेंट की बांयी जेब में रख लिये हैं। इस पर परिवादी के बताये अनुसार परिवादी की कार में बैठे हुये व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं हमराहीयान का परिचय देते हुये उसे परिवादी की कार से बाहर निकालकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पंकज चौधरी पुत्र श्री जयनारायण चौधरी उम्र 25 वर्ष जाति जाट नि. ग्राम लदाना खुर्द तहसील चाकसू जिला जयपुर हाल टैक्स कलेक्टर (टीसी) स्पैरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड, कार्यालय उपायुक्त जोन मालवीय नगर नगर निगम ग्रेटर जयपुर होना बताया तथा पूछने पर बताया कि दीपक खंडेलवाल द्वारा दिये गये रूपये मेरी पेंट की बांयी जेब में रखे हुये हैं। चूंकि घटनास्थल मैन रोड पर होने से यातायात व्यवस्था बाधित ना हो इसलिये कार्यवाही हेतु श्री पंकज चौधरी को हमराह लेकर मय ब्यूरो टीम के अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय उपायुक्त नगर निगम ग्रेटर, जोन मालवीय नगर, जयपुर के कार्यालय में स्थित कमरा नं. 21 जहां पर श्री पंकज चौधरी बैठकर टैक्स से सम्बन्धित कार्य करता है, वहां पर पहूंचे। उक्त कमरे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके बारे में आरोपी श्री पंकज चौधरी ने बताया कि यह हमारे सर्किल मैनेजर श्री कौशल यादव हैं जिस पर उनसे अनुमति लेकर नियमानुसार लिखापढी की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

परिवादी श्री दीपक खंडेलवाल से पुनः पूछने पर परिवादी ने बताया कि नगर निगम के सामने जाकर मैंने श्री पंकज चौधरी को कॉल किया तो पंकज चौधरी ने कहा मै बाहर हूं दस मिनट इंतजार करो, इस पर मैं दस मिनट तक नगर निगम कार्यालय के बाहर ही खडा होकर इंतजार करने लग गया। करीब दस मिनट बाद पंकज चौधरी आकर मेरी कार में बैठ गये। मैंने पंकज जी को पूछा कि 9,000/-रू देने के बाद भैया मै फ्री हूं ना तो पंकज जी ने बताया कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पंकज जी ने मुझे बताया